न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 462 / 2022

अनवान : –

1. सजय सिंवर पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
2. विनोद कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
3. भवंरी देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
4. सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहरनोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 27/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077–2080 के खाता सं. 16 / 17 के ख.न. 116 / 1 की 1.0490 हैक्टर भूमि ख.न. 182 / 2 की 1.8440 हैक्टर ख.न. 195 / 2 की 2510 हैक्टर ख.न. 30 / 1 की 4.9820 हैक्टर ख.न. 83 / 1 की 3.2890 हैक्टर कुल 5 खसरेजात की 11.4140 हैक्टर भूमि में से वादी सं. 1 का 1 / 7 हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 25 / 168 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1 / 21 हिस्सा तथा वादी सं. 4 का 1 / 7 हिस्सा भूमि है।

उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी स0 1 का नाम संजय पुत्र महावीर, वादी स0 2 का विनोद पुत्र देवीलाल, वादी स0 3 भंवरी देवी पत्नी महावीर, वादी स0 4 का नाम सन्दीप पुत्र महावीर है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादीगण का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेज संजय सिंवर पुत्र महावीर, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद है जो की वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र मे दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संजय पुत्र महावीर, विनोद पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर, सन्दीप पुत्र महावीर के स्थान पर संजय सिंवर पुत्र महावीर, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज करवाना चाहते है। यही बिनाय दावा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया [illegible] की शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी [illegible] वादी ने कथन किया कि उक्त उक्त राजस्व रिकार्ड में वादी स0 1 का नाम सं[illegible] पुत्र महावीर, वादी [illegible] का विनोद पुत्र देवीलाल, वादी स0 3 भंवरी देवी पत्नी महावीर, वादी स0 4 का नाम सन्दीप पुत्र महावीर है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादीगण का सही व वास्तविक नाम मुताबिक दस्तावेज संजय सिंवर पुत्र महावीर, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर

Rahul

प्रसाद है जो की वादी के समस्त दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र मे दर्ज है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संजय पुत्र महावीर, विनोद पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर, सन्दीप पुत्र महावीर के स्थान पर संजय सिंवर पुत्र महावीर, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद दर्ज करवाना चाहते है। वादी का वाद डिक्री किया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077–2080 के खाता सं. 16/17 के ख.न. 116/1 की 1.0490 हैक्टर भूमि ख.न. 182/2 की 1.8440 हैक्टर ख.न. 195/2 की 2510 हैक्टर ख.न. 30/1 की 4.9820 हैक्टर ख.न. 83/1 की 3.2890 हैक्टर कुल 5 खसरेजात की 11.4140 हैक्टर भूमि में से वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 25/168 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/21 हिस्सा तथा वादी सं. 4 का 1/7 हिस्सा भूमि है। उक्त वाद भूमि में वादीगण का नाम क्रमश संजय पुत्र महावीर, विनोद पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर, सन्दीप पुत्र महावीर दर्ज है जो की गलत दर्ज हुआ है वादीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमश संजय सिंवर पुत्र महावीर, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद है। वादी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में दर्ज है। अत वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077–2080 के खाता सं. 16/17 के ख.न. 116/1 की 1.0490 हैक्टर भूमि ख.न. 182/2 की 1.8440 हैक्टर ख.न. 195/2 की 2510 हैक्टर ख.न. 30/1 की 4.9820 हैक्टर ख.न. 83/1 की 3.2890 हैक्टर कुल 5 खसरेजात की 11.4140 हैक्टर भूमि में से वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 25/168 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/21 हिस्सा तथा वादी सं. 4 का 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज है, में वादीगण का नाम क्रमश **संजय पुत्र महावीर, विनोद पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर, सन्दीप पुत्र महावीर के स्थान पर संजय सिंवर पुत्र महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद** है के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो [illegible]नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक ....27/01/26.... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 462 / 2022
अनवान : –

1. सजय सिंवर पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
2. विनोद कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
3. भवंरी देवी पत्नि महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहर
4. सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी नगरासरी तहसील नोहरनोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 462 सन 2022 निर्णय दिनांक 27/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक नगरासरी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2077–2080 के खाता सं. 16/17 के ख.न. 116/1 की 1.0490 हैक्टर भूमि ख.न. 182/2 की 1.8440 हैक्टर ख.न. 195/2 की 2510 हैक्टर ख.न. 30/1 की 4.9820 हैक्टर ख.न. 83/1 की 3.2890 हैक्टर कुल 5 खसरेजात की 11.4140 हैक्टर भूमि में से वादी सं. 1 का 1/7 हिस्सा तथा वादी सं. 2 का 25/168 हिस्सा तथा वादी सं. 3 का 1/21 हिस्सा तथा वादी सं. 4 का 1/7 हिस्सा भूमि दर्ज है, में वादीगण का नाम क्रमश **संजय पुत्र महावीर, विनोद पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर, सन्दीप पुत्र महावीर के स्थान पर संजय सिंवर पुत्र महावीर प्रसाद, विनोद कुमार पुत्र देवीलाल, भंवरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, सन्दीप पुत्र महावीर प्रसाद** है के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 11:03:53 IST
Reason: SelfAttested